न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

विविध अपील वाद संख्या– 42/2012–13

देव कुमारी देवी वनाम पंकज कुमार एवं अन्य

–:: आदेश ::–

24.2.15

प्रस्तुत वासगीत अपील अपीलार्थी मसो0 देव कुमारी देवी पत्नी– स्व0 वीरेन्द्र भगत द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या– 32/2000–01 में पंकज कुमार के नाम अंचलाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा दिनांक– 25.01.2001 को निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि पुराना खाता संख्या–6 नया खाता– 391, पुराना खेसरा– 1525, नया खेसरा– 2041 रकवा 4 डीसमल जमीन उन्होंने बद्री चौधरी एवं उनके उत्तराधिकारियों एवं सिकमीदार के उत्तराधिकारियों से निबंधित केबाला दिनांक– 29.01.1987 एवं 14.04.1987 एवं रेकर्डेड रैयत राम सुन्दर चौधरी से लिया था तथा सम्पूर्ण जमीन को मिलाकर उनका पक्का वासगृह, दरवाजा, कलमबाग, गाय का शेड, ट्यूबेल तथा विभिन्न प्रकार का वृक्ष लगा हुआ है तथा उस समय से उक्त जमीन उनके दखल–कब्जा में है। प्रतिपक्षी पंकज कुमार, ग्राम– चौकी, थाना– लक्षमिनियॉ, जिला– बेगूसराय का रहनेवाला है तथा वर्त्तमान में उसकी मॉ काशनगर स्वास्थ्य केन्द्र में नर्स के पद पर पदस्थापित हैं। वह कोई प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है, बल्कि ग्राम चौकी में उनका 15 बीघा जमीन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिन्टू भगत से वास भूमि भी खरीद कर उसमें अपने माता के साथ रह रहे हैं। इस सबके बावजूद उन्होंने वासगीत पर्चा के लिए आवेदन कर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के ताल–मेल से पुराना खाता संख्या–76 नया खाता– 391, पुराना खेसरा– 1525 नया खेसरा– 2041 रकवा– 3 डीसमल पुराना खाता–6 नया खाता 317 पुराना खेसरा– 1525 नया खेसरा– 2042 रकवा 3 डीसमल कुल 6 डीसमल का पर्चा प्राप्त कर लिया, जिसमें वास्तविक भू–स्वामी का नाम छिपाकर भू–स्वामी के रूप में सुरेश भगत एवं अन्य का नाम दिखा दिया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के पास रीभीजनल सर्वे खतियान उपलब्ध रहते हुए वे तथ्यों को छिपाकर प्रतिपक्षी के मेल से प्रतिपक्षी के नाम पर्चा निर्गत करने की अनुशंसा कर दी। फाइनल खतियान में नया खाता– 391 एवं नया खेसरा– 2041 अपीलार्थी को जमीन बेचने वाले का नाम रामसुन्दर तियर (चौधरी) सिकमी कब्जेदार विक्रेता बद्री चौधरी के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त खाता– 317, खेसरा– 2042/3047 का भू–स्वामी में प्रतिपक्षी के तरफ से दिये गये नाम से भिन्न नाम दर्ज है। वासगीत एक्ट के प्रावधान 5(2)(4) का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए भू–स्वामी को न तो कोई जानकारी दी गयी और न ही कोई नोटिस किया गया। भू–स्वामी के रूप में गलत नाम दर्ज कर कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के सांठ–गांठ से गलत प्रतिवेदन पर दिनांक– 25.01.2000 को अंचलाधिकारी द्वारा वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया।

अपीलार्थी को जब वासगीत पर्चा की जानकारी हुई तो दिनांक– 14.06.2012 को नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक– 07.07.2012 को नकल उपलब्ध होने पर प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी ने लिमिटेशन एक्ट की धारा– 21 के अन्तर्गत विलम्ब क्षान्ति का आवेदन दाखिल करते हुए दिनांक– 25.01.2000 को निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने की याचना की है।

प्रतिपक्षी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। उन्हें दिनांक– 25.03.2015 को उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु अंतिम मौका दिया गया था, फिर भी प्रतिपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही प्रत्युत्तर दाखिल किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से दाखिल केवाला एवं सर्वे खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादी खाता नया– 391 खेसरा नया– 2041 रकवा– 4 डी0 की जमीन अपीलार्थी को शिकमी दखलकार से केवाला दिनांक 14.04.1987 को, खाता नया– 391 खेसरा नया– 2041 रकवा– 4 डी0 में से 02 डी0 एवं खतियानी रैयत से केवाला नंबर 6310 दिनांक 24.05.2005 को, खाता नया– 391 खेसरा नया– 2041 रकवा 0–1–17 धुर अर्थात् 8 डी0 जो पुराना खेसरा 1525 खाता पुराना 06 केवाला से प्राप्त है। अपीलार्थी के नाम दाखिल केवाला के किसी भी चौहदी में पर्चाधारी का नाम अंकित नहीं है। जबकि निर्गत पर्चा पर भी खाता पुराना 06 खेसरा पुराना 1525 से बने खेसरा नया 2041 रकवा 3 डी0 एवं 2042 रकवा 03 डी0 कुल 06 डी0 का पर्चा निर्गत है, तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख 32/2000–01 के अवलोकन से एवं पर्चा में दर्ज चौहद्दी में भी अपीलार्थी का नाम दक्षिण में होना अंकित है, जबकि अपीलार्थी 1987 ई0 में खरीदगी केवाला में भी मकान खपड़ा पोस खरीदगी है, तथा विपक्षी उपस्थित होकर बिना पक्ष रखे अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का दावा सत्य प्रतीत होता है।

अतएव अंचल अधिकारी, सोनवर्षा को निर्देश दिया जाता है कि विवादी भूमि पर वास्तविक दखलकार अपीलार्थी अथवा पर्चाधारी का स्वयं की उपस्थिति में जाँच कर पर्चाधारी का दखल–कब्जा पर्चा की भूमि नहीं पाया जाता है तो निर्गत पर्चा को निरस्त करते हुए कृत्य कार्यवाही के प्रतिवेदन से अपीलीय न्यायालय को अवगत करावें।

उपरोक्त निर्देश के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

24.7.2017

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1954-9 / विधि, दिनांक 31-07-2015

प्रतिलिपि :– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अंचलाधिकारी, सोनवर्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/7/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.7.15